GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS LOK SABHA

UN-STARRED QUESTION NO. 2221

ANSWERED ON MONDAY, MARCH 8, 2021/ PHALGUNA 17, 1942 (SAKA)

RECRUITMENTS IN PSUS QUESTION

†2221. SHRI GANESH SINGH:

Will the Minister of CORPORATE AFFAIRS be pleased to state:

कॉरपोरेट कार्य मंत्री

- (a) the details of the total appointments made during the period from 08.09.1993 to 31.12.2020 in the Public Sector Undertakings (PSU), banks and insurance companies/financial institutions with 51 per cent Government stake along with the details of backlog posts PSU-wise, bank-wise, insurance company-wise, financial institution-wise, post-wise and category-wise;
- (b) whether reservation rules are applicable to all the various PSUs/financial institutions in which Government stake is 51 per cent or more;
- (c) if so, the details thereof;
- (d) whether reservation rules apply to PSUs/financial institutions having 50 per cent Government stake;
- (e) if not, the details of the order issued by the Government in this regard;
- (f) whether 27 per cent reservation policy for OBC has not been implemented in many PSUs/Banks/insurance companies/financial institutions etc till date inspite of having 51 per cent or more than 51 per cent Government stake; and
- (g) if so, the corrective steps taken by the Government in this regard?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE FOR

FINANCE AND CORPORATE AFFAIRS

(SHRI ANURAG SINGH THAKUR)

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(a) to (g): The Ministry of Corporate Affairs administers Companies Act, 2013 (the Act), Limited Liability Partnership Act, 2008, Insolvency & Bankruptcy Code, 2016.

However, the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises and Public Enterprises Selection Board (PESB), Department of Personnel and Training (DoPT) have informed as under:

I. Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises has informed that Public Sector Undertakings (PSUs) is a wider definition and includes all central organizations including banks, insurance companies, Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and other autonomous organizations of Central Government. Department of Public Enterprises (DPE) is a nodal coordinating Department for CPSEs only excluding banks and other financial institutions & autonomous organizations. CPSEs, banks and other financial institutions function under the administrative control of their respective

Ministry/ Department. DPE collect limited information in respect of CPSEs only. The information available in respect of CPSEs is as follows:

As on 31-03-2020, the 366 CPSEs has employed 14.18 lakhs persons. The category wise detail is as follows:

SI. No.	Category	No. of employees as on 31.03.2020					
1	Managerial/Executives	2,49,320					
2	Supervisory	99,077					
3	Non-Executives	5,73,479					
4	Contract Workers / Employees / Casual/ Daily Rated Workers	4,95,751					
	Total	14,17,627					

The provisions relating to reservation formulated by the nodal department i.e. DoPT stand *mutatis mutandis* extended to CPSEs also. As per the information available with DPE, the representation of SC, ST & OBCs in the operational CPSEs in respect of regular employees as on 31.03.2020 is given below:

Representation of SCs, STs and OBCs, in the operating CPSEs under different Ministries/Departments									
		Willistries/L	ераги	Representation of SCs, STs, OBC, in CPSEs as on 31.03.2020					
Group	Total No. of Employees	Total Reservation (5+7+9)	3/2 %	SCs No.		STs No		OBCs No.	%
1	2 cmployees	3		_		7			
Managerial/Executives	248011	105912	42.70	40365	16.28	17195	6.93	48352	19.50
Supervisors	98969	44825	45.29	15413	15.57	8683	8.77	20729	20.94
Workers Skilled	363872	210279	57.79	73960	20.33	48564	13.35	87755	24.12
Workers unskilled	208796	97642	46.76	30646	14.68	25251	12.09	41745	19.99
Total	919648	458658	49.87	160384	17.44	99693	10.84	198581	21.59

II. Public Enterprises Selection Board (PESB), Department of Personnel and Training has informed that PESB is responsible for making selection/ recommendation of candidates for Board level posts in CPSEs. Subsequent, appointments of the recommended candidates are made by the Ministry/Department concerned under the procedure laid down.

As per the extant policy of the Government, there is no reservation applicable to Board level posts in CPSEs. Accordingly, the PESB, while inviting applications for filling up Board level vacancies, does not seek for information related to the category of the candidate to which he or she belongs.

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2221

(जिसका उत्तर सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया गया)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भर्तियां

2221. श्री गणेश सिंहः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) 51 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी वाले सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), बैंकों और बीमा कंपिनयों/वित्तीय संस्थानों में दिनांक 08.09.1993 से 31.12.2020 तक की अविध के दौरान की गई कुल नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है और बैकलॉग पदों का पीएसयू-वार, बैंक-वार, बीमा कंपिनी-वार, वित्तीय संस्थान-वार, पद-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या 51 प्रतिशत अथवा उससे अधिक सरकारी हिस्सेदारी वाले विभिन्न पीएसय्/वितीय संस्थानों में आरक्षण के नियम लागू होते हैं;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या 50 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी वाले पीएसयू/वितीय संस्थानों में आरक्षण के नियम लागू होते है;
- (ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या 51 प्रतिशत अथवा उससे अधिक सरकारी हिस्सेदारी के बावजूद कई पीएसयू/बैंक/बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों आदि में आज की तिथि तक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की नीति लागू नहीं की गई है; और
- (छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

- (क) से (छ): कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 को प्रशासित करता है। तथापि, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय लोक उद्यम विभाग और लोक उद्यम बोर्ड, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने निम्नवत रूप से अवगत कराया है:
- 1. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग ने अवगत कराया है कि सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का व्यापक दायरा है जिसमें बैंक, बीमा कंपिनयों, सार्वजिनक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमियों (सीपीएसईएस) और केंद्रीय सरकार के अन्य स्वायत संगठन सिहत सभी केंद्रीय संगठन शामिल हैं। लोक उद्यम विभाग केवल बैंकों और अन्य वितीय संस्थान एवं स्वायत संगठनों को छोड़कर सीपीएसई के लिए नोडल समन्वयकारी विभाग हैं। सीपीएसई, बैंक और अन्य वितीय संस्थान अपने अपने मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक निमंत्रण

में कार्य करते हैं। डीईपी, सीपीएसईएस के संबंध में केवल सीमित सूचना एकत्रित करता है। सीपीएसईएस के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 366 सीपीएसईएस ने 14.18 लाख लोगों को रोजगार दिया है। श्रेणी-वार विवरण निम्नान्सार है :

क्र.	श्रेणी	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार					
सं.		कर्मचारियों की संख्या					
1	प्रबंधकीय / कार्यकारी	2,49,320					
2	पर्यवेक्षी	99,077					
3	गैर-कार्यकारी	5,73,479					
4	संविदा कामगार/ कर्मचारी/अनियमित/दिहाड़ी	4,95,751					
	कामगार						
	कुल	14,17,627					

आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को नोडल विभाग अर्थात् डीओपीटी द्वारा यथा आवश्यक परिवर्तन सित सीपीएसई के मामले में समान रूप से विस्तारित किया जाएगा। डीपीई के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से है :-

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत संचालित सीपीएसईज़ में अ.जा., अ.ज.जा, अ.पि.व. का									
प्रतिनिधित्व									
				31.03.2020 को सीपीएसईज़ में में अ.जा.,					
				अ.ज.जा, अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व					. व
						अ.ज.जा.		अ.पि.व.	
	कर्मचारियों	कुल आरक्षण	3/2	अ.जा.सं.		सं.		सं.	
समूह	की संख्या	(5+7+9)	%		%		%		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रबंधकीय / कार्यकारी	248011	105912	42.70	40365	16.28	17195	6.93	48352	19.50
पर्यवेक्षक	98969	44825	45.29	15413	15.57	8683	8.77	20729	20.94
कुशल कामगार	363872	210279	57.79	73960	20.33	48564	13.35	87755	24.12
अकुशल कामगार	208796	97642	46.76	30646	14.68	25251	12.09	41745	19.99
कल	919648	458658	49.87	160384	17.44	99693	10.84	198581	21.59

॥. लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अवगत कराया है कि सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन शिफारिशों के लिए पीईएसबी जिम्मेदार है। इसके पश्चात्, अनुशासित उम्मीदवारों की संबंधित मंत्रालय / विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन नियुक्ति की जाती है।

संख्या की मौजूदा नीति के अनुसार सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पदों के लिए आरक्षण लागू नहीं है। तद्नुसार पीईएसबी, बोर्ड स्तर की रिक्तियों को भरने हेतु आवेदन मंगाते समय उम्मीदवार की श्रेणी जिस से संबंधित वह है, की जनकारी नहीं मांगता है।
